रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232911
CG-DL-E-25012022-232911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943
No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022

(आय-कर)

का.आ. 345(अ).— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के खंड 23(चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 2020 की अधिसूचना सं. 89 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का.आ. संख्यांक 3952 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(I). खंड (vii), खंड (viii), खंड (ix), खंड (x), खंड (xi) और खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(vii) निर्धारिती का उपार्जन या तो अबू धाबी सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में निक्षेप किया जाएगा जिससे भारत में विनिधान करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण या उधार (अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में यथा परिभाषित) हेतु लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय के सिवाय किसी प्राइवेट व्यक्ति को उपार्जन के किसी भाग का उपयोग न किया जा सके;

(viii) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों हेतु प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, (अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में यथा परिभाषित) कोई ऋण या उधार नहीं होगा;

(ix) निर्धारिती की आस्ति, भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए लिए गए ऋण या उधारों हेतु लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए संदाय के सिवाय विघटन पर अबू धाबी सरकार में निहित होगी;

(x) निर्धारिती, (अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में यथा परिभाषित) विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं करेगा किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान को सुरक्षित करने हेतु मानीटरी करने का तंत्र जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के क्रियाकलापों में भागीदारी के रुप में नहीं समझा जाएगा ।";

(II) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध

संप्रभु धन निधि द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट का दावा करने हेतु संपरीक्षा रिपोर्ट भरी जाए

भाग 1

*मैं/हम रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं कि मैसर्स........... (निर्धारिती का नाम और पता, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक सहित), की कानूनी संपरीक्षा जिसकी विशिष्टियाँ भाग 2 में दी गई हैं, *मेरे/ हमारे/ मैसर्स...................द्वारा भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना संख्यांक........ तारीख....के अधीन अपेक्षा के अनुसार संचालित की गई थी ।

2. *मेरी/हमारी राय में और * मेरी/हमारी जानकारी तथा लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार, जिसके अंतर्गत अन्य सुसंगत दस्तावेज और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण भी हैं, यह सत्यापित किया जाता है कि निर्धारिती ने *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन अधिकथित शर्तों और उनका जो उक्त अधिसूचना में उक्त खंड (23चड.) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजनों हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निधि होने के नाते निर्धारिती को विनिर्दिष्ट करने वाली उक्त अधिसूचना में उपबंधित हैं,*पालन किया है/नहीं किया है ।

2.1 *निर्धारिती द्वारा शर्त का अनुपालन निम्न प्रकार नहीं किया गया है :-

(क) ....

(ख) ....

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और * मुझे/हमें दिए गए अन्य सुसंगत दस्तावेजों तथा स्पष्टीकरणों सहित लेखा बहियों की जांच के अनुसार भाग 2 में दिए गए विवरण निम्नलिखित संपरीक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन सत्य और सही है, अर्थात् :-

(क) ....

(ख) ....

भाग 2

1. निर्धारिती का नाम :
2. स्थायी खाता संख्यांक/आधार :
3. पूर्ववर्ती वर्ष :
4. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय :
5. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट हेतु पात्र आय की कुल रकम (सारणी के स्तंभ 11 में मद संख्या 6 के ब्यौरों के अनुसार):

आरंभिक अतिशेष (पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंतिम अतिशेष) धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन ....(रुपये) छूट के लिए पात्र है और उक्त अवधि के दौरान संप्रभु धन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस इकाई के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है।				आय की रकम जो धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र हैं। (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पन्ना संलग्न करें।
						प्रकृति (अनुदेश 6)	नाम	स्थायी खाता संख्यांक	इकाई की प्रकृति का कोड 3/4/5 होने की दशा में , क्या इकाई में न्यूनतम विनिधान धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ग) या मद (घ) या मद (ड.) में यथा अपेक्षित 50 या 75 या 90 प्रतिशत किया है। (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पन्ना संलग्न करें)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
कुल										

7. *एसडब्ल्यूएफ में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी भी निक्षेप को उस तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय नहीं किया गया है जिस दिन ऐसा निक्षेप किया गया था। उक्त छूट के संबंध में एसडब्ल्यूएफ ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों हेतु किए गए कुछ निक्षेपों को उस तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय कर दिया है जिस दिन ऐसा निक्षेप किया गया था। उक्त छूट के संबंध में जिसका विवरण निम्नप्रकार है :

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की कुल रकम	उस इकाई के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है।			विक्रय की तारीख
					इकाई की प्रकृति (अनुदेश 6)	नाम	स्थायी खाता संख्यांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
कुल								

8. एसडब्ल्यूएफ, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित सभी अपेक्षित शर्तें पूर्ण करता है, अर्थात् -

(क)	क्या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: बाहरी देश की सरकार एसडब्ल्यूएएफ पर पूर्णत: स्वामित्व रखती है या उसे नियंत्रित करती है।	हां/नहीं
(ख)	उस बाहरी देश की सरकार का नाम उल्लिखित करे जो एसडल्यूएफ पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वामित्व और नियंत्रण रखती है।	
(ग)	क्या बाहरी देश की सरकार एसडब्ल्यूएफ पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वामित्व और नियंत्रण रखती है।	प्रत्यक्षत:/ अप्रत्यक्षत:
(घ)	बाहरी देश की सरकार एसडब्ल्यूएफ पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वामित्व और नियंत्रण रखने की दशा में स्वामित्व की श्रृंखला के ब्यौरे दें।	
(ड.)	विधि का नाम जिसके अधीन एसडब्ल्यूएफ स्थापित और विनियमित है।	
(च)	क्या उक्त निधि का उपार्जन बाहरी देश की सरकार के खाते में या सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाता है जिससे भारत में विनिधान करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण या उधारों हेतु लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय के सिवाय किसी प्राइवेट व्यक्ति को उपार्जन के किसी भाग का उपयोग न किया जा सके	हां/नहीं
(छ)	निर्धारिती की आस्ति, भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋण या उधारों के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए संदाय के सिवाय, विघटन पर बाहरी देश की सरकार में निहित होगी;	हां/नहीं

(ज)	जहां (च) या (छ) का उत्तर 'नहीं' है वहां निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें : (i) ऐसे प्राइवेट व्यकृति का नाम (ii) वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए फायदे की रकम	
(झ)	निर्धारिती, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं करेगा किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान को सुरक्षित करने हेतु मानीटरी करने का तंत्र जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के क्रियाकलापों में भागीदारी के रुप में नहीं समझा जाएगा ।	हां/नहीं
(ञ)	जहां (झ) का उत्तर 'हां' है वहां निम्नलिखित ब्यौरे दें : (i) विनिधान प्राप्तकर्ता का नाम (ii) विनिधान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक (iii) वर्ष के अंत में ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता में विनिधान की रकम	हां/नहीं
(ट)	क्या उसने भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान के ब्यौरों की जानकारी परिपत्र संख्यांक 15/2020 तारीख 22.07.2020 द्वारा जारी किए प्ररुप संख्यांक 2 के अनुसार अपेक्षा का अनुपालन किया है	हां/नहीं
(ठ)	क्या उसके पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजन हेतु प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित ऋण या उधार है	हां/नहीं
(ड)	यदि (ठ) का उत्तर 'हां' है तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं : (i) ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे ऐसा ऋण या उधार लिया गया है (ii) वर्ष के आरंभ में ऋण या उधार की रकम (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त किए ऋण या उधार की रकम (iv) वर्ष के दौरान पुन:संदत्त ऋण या उधार की रकम (v) वर्ष के अंत में ऋण या उधार की रकम	हां/नहीं
(ढ)	क्या ऐसे विनिधान के संबंध में विनिधान और आय हेतु पृथक लेखा अनुरक्षित किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट हेतु अर्हक है ।	

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टांप/मुद्रा

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

सदस्यता संख्या ....

यूटीआईएन.....................................

अनुदेश :

1. *जो लागू न हो, काट दें ।

2. यह प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी अकाउंटेंट द्वारा दिया जाए ।

3. "विनिधान प्राप्तकर्ता" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है और "ऋण और उधार" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में है ।

4. निम्नलिखित कोडों में से किसी एक कोड का चयन किया जाए :-

विनिधान की प्रकृति	**कोड**
ऋण	1
साधारण शेयर	2
वरीयता शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. निम्नलिखित कोडों में से किसी एक कोड का चयन किया जाए :-

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी लाभ	3
अन्य	4

6. निम्नलिखित कोडों में से किसी एक कोड का चयन किया जाए :-

इकाई की प्रकृति जिसमें विनिधान किया है	कोड
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम या इकाई	2
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट अनुकल्पी विनिधान निधि	3
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट घरेलू कंपनी	4
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ड.) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी/ अवसंरचना ऋण निधि- एनबीएफसी	5

.”.

[अधिसूचना सं. 11/2022 /फा. सं. 370133/16/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

स्पष्टीकरण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 2 नवंबर, 2020 का.आ. 3952(अ) तारीख 2 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 345(E).—In exercise of powers conferred by sub-clause (vi) of clause (b) of the *Explanation* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the “Act”) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Number 89 of 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3952(E), dated the 2nd November, 2020, namely:-

In the said notification,-

(I) for clauses (vii), (viii), (ix), (x), (xi) and (xii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(vii) the earnings of the assessee shall be credited either to the account of the Government of Abu Dhabi or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures to any private person barring any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing [as defined in sub-clause (a) of clause (ii) of Explanation 2 to clause (23FE) of section 10 of the Act] taken for the purposes other than for making investment in India;

(viii) the assessee shall not have any loans or borrowings [as defined in sub-clause(a) of clause (ii) of Explanation 2 to clause (23FE) of section 10 of the Act] , directly or indirectly, for the purposes of making investment in India;

(ix) the asset of the assessee shall vest in the Government of Abu Dhabi upon dissolution barring any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing taken for the purposes other than for making investment in India;

(x) the assessee shall not participate in the day to day operations of investee (as defined in clause (i) of Explanation 2 clause (23FE) of section 10 of the Act) but the monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director shall not be considered as participation in the day to day operations of the investee.";

(II) for the Annexure, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE

Audit report to be filed by the Sovereign Wealth Fund claiming exemption under clause (23FE) of section10 of the Income-tax Act, 1961

Part I

*I/we report that the statutory audit of M/s…………………… (Name and address of the assessee with Permanent Account Number or Aadhaar Number), the particulars of which are given in Part II was conducted by *me/us/M/s.…………………………………………..……….as per the requirement under the Notification No…../……dated………published in the Official Gazette on……......

2. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, it is certified that the assessee *has/has not complied with the conditions as laid down under clause (23FE) of section 10 of theIncome-taxAct,1961 and those provided in the said notification specifying the assessee being the Sovereign Wealth Fund as specified person for the purposes of claiming exemption under the said clause(23FE).

2.1 *The conditions not complied with by the assessee are as under:-

(a)………………………………………………………………………………………………

(b)………………………………………………………………………………………………

3. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the Part II are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any, namely:-

(a)………………………………………………………………………………………………

(b)………………………………………………………………………………………………

Part II

1. Name of the Assessee :
2. PAN/AADHAAR :
3. Previous Year :
4. Total Income of the Assessee during the previous year
5. Total amount of income eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (as per details in column 11 of table at item no. 6):
6. The opening balance (i.e. the closing balance as on the last date of the preceding financial year) of the investment made which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 is ______________(in rupees) and details of the investment by the Sovereign Wealth Fund (SWF) during the period are as under:

Sl. No.	Date of investment	Amount of investment	Nature of investment (Instruc-tion 4)	Nature of income (instruc-tion 5)	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which Investment made				Amount of income which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 **(Attach calculation sheet as per relevant rules)**
						Nature (instruction 6)	Name	PAN	In case if nature of entity code is 3/4/5, whether the entity has made minimum investment of 50 or75 or 90 percent as required in item (c) or (d) or (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 **(Attach calculation sheet as per relevant rules)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
Total										

7. *the SWF has not sold any of the investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption/the SWF has sold certain investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption, the details of which are as under:

Sl. No.	Date of investment	Nature of investment (Instruction 4)	Nature of income (instruction 5)	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which Investment made			Date of sale
					Nature of entity (instruction 6)	Name	PAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
Total								

8. The SWF satisfies all the conditions required for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, that is, -

a)	Whether the government of foreign country wholly owns and controls the SWF, directly or indirectly	Yes/No
b)	Mention the name of the government of foreign country which owns and controls the SWF, directly or indirectly	
c)	Whether the government of foreign country owns and controls the SWF, directly or indirectly	Directly/ Indirectly
d)	In case if government of foreign country owns and controls the SWF, indirectly give details of the chain of ownership	
e)	Name of the law under which the SWF is set up and regulated	

f)	Whether the earnings of the said fund are credited either to the account of the Government of that foreign country or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purposes other than for making investment in India.	Yes/No
g)	Whether the asset of the said fund vests in the Government of such foreign country upon dissolution barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for the purposes other than for making investment in India.	Yes/No
h)	If answer to (f) or (g) is No, then provide the following details: (i)Name of such private person (ii)Amount of benefit provided during the year	
i)	Whether it participates in the day to day operations of any of the investee, as defined in Explanation 3 to clause (23FE) of section 10, barring any monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director	Yes/No
j)	If answer to (i) is yes, then provide the following details: (i) Name of such investee (ii) PAN of the investee (iii) Amount of investment in such investee at the end of the year	
k)	Whether it has complied with the requirement of intimation of the details of investment made by it in India in Form No. II issued vide circular No 15/2020 dated 22.07.2020	Yes/No
l)	Whether it has loans or borrowings, as defined in *Explanation* 2 to clause (23FE) of section 10, directly or indirectly, for the purposes of making investment in India	Yes/No
m)	If answer to (l) is yes, then provide the following details: (i) Name of the person from whom such loan or borrowing has been taken (ii) Amount of loan or borrowing at the beginning of the year (iii) Amount of loan or borrowing received during the year (iv) Amount of loan or borrowing repaid during the year (v) Amount of loan or borrowing at the end of the year	
n)	Whether separate segmented account is maintained for income and investment in respect of investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act	

Place:……………

Date:……………

(Signature and stamp/Seal of the signatory)

Name of the signatory …………………….

Full address ……………………………….

Membership No……………………………

UDIN……………………..……………..

Instructions: 1. *Delete whichever is not applicable.

2. This certificate is to be given by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

3. An "investee" shall have the same meaning as in claues (i) of *Explanation* 2 to clause (23FE) of section 10 of the Act and "Loan and borowing" shall have the same meaning as in sub-clause(b) of clause (ii) of *Explanation* 2 to clause (23FE) of section 10 of the Act.

4. One of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3
Others (Please specify)	4

5. One of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividend	2
Capital Gains	3
Others	4

6. One of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in item (a) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	1
Company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	2
Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	3
Domestic company referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	4
Infrastructure Finance Company/Infrastructure Debt Fund-NBFC referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10	5

.”.

[Notification No. 11/2022/F. No. 370133/16/2020-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 sub-section (ii) dated the 2nd November, 2020 *vide* number S.O.3952 (E) dated 2nd November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.25 22:13:10 +05'30'